न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 28/2026

GCMS No. : 2026/62

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

बनाम

1. श्री शक्तिसिंह पुत्र श्री कानसिंह, जाति रावत निवासी खाजपुरा तहसील अजमेर, मैसर्स श्री श्याम फुड प्रोडेक्टस गावं डांग सराधना अजमेर 305001 वाहन चालक
2. श्री लोकेश खंडेलवाल मैसर्स श्री श्याम फुड प्रोडेक्टस गावं डांग सराधना अजमेर 305001 फर्म मालिक

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :

प्रार्थी स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01. 2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 19.06.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी के वाहन संख्या आरजे 01 जीई 6758 जो जाडन रोड पाली में रूकवाकर वाहन का निरीक्षण किया वाहन के निरीक्षण के दौरान वाहन मे बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम शक्तिसिंह बताया एवं स्वंय को वाहन चालक होना बताया एवं साथ ही प्रार्थी ने भी अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी की उपस्थिति में वाहन का निरीक्षण का करने पर वाहन में घी व अन्य खाद्य पदार्थ रखा हुआ था। जिसे वाहन चालक पाली जिले के खाद्य कारोबारियों को विक्रय करने हेतु ले जा रहा था। वाहन में रखे घी सरल ब्राण्ड में मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी सरल ब्राण्ड का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। वाहन चालक के सहायक सोनाराम को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी एवं गवाह को बता दिया की घी सरल ब्राण्ड का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार किलोग्राम घी सरल ब्राण्ड वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 2400/— रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी सरल ब्राण्ड को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2420 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी सरल ब्राण्ड का नमुना संख्या आर–2420 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1008/एक्ट/2025/1008 दिनांक 02.07.2025 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाकर सुचित किया जिस पर अप्रार्थी ने घी सरल ब्राण्ड का पुनः जांच करवाने कि इच्छा जाहिर कि जिस पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त घी सरल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

ब्राण्ड नमुना संख्या 2420 रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भेजा जहां से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्युसीएल/एफएसएसए(1554एफ)/2025 दिनांक 20.11.2025 के अनुसार भी उक्त घी सरल ब्राण्ड का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को अप्रार्थी के वाहन संख्या आरजे 01 जीई 6758 को जाडन रोड पाली में रूकवाकर वाहन का निरीक्षण किया एवं वाहन में रखे घी सरल ब्राण्ड का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2420 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी सरल ब्राण्ड का नमुना कोड संख्या आर–2420 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया जहां से उक्त घी सरल ब्राण्ड अवमानक पाया गया जिस पर अप्रार्थी ने उक्त घी सरल ब्राण्ड की पुनः जाचं हेतु आवेदन पेश करने पर एवं रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के वाहन से लिया गया घी सरल ब्राण्ड का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के वाहन से घी सरल ब्राण्ड का का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर एव मैसुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अवमानक स्तर का घी सरल ब्राण्ड उत्पादन/विक्रय/विनियम किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी सरल ब्राण्ड उत्पादन/विक्रय/विनियम करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर सयुक्तरूप से 2,50,000/–रूपये अक्षरे दों लाख पच्चास हजार रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * पाली (राजस्थान) *

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली